सं. 1-1/2015-नीति-4

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 6 जून, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: वर्ष 2017-18 के दौरान खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत गेहूं और चावल की बिक्री हेतु नीति।

अधोहस्ताक्षरी को वर्ष 2017-18 के दौरान खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत गेहूं और चावल की बिक्री से संबंधित नीति पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन सूचित करने का निदेश हुआ है, जो निम्नानुसार है:-

1. खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा बेची जाने वाली गेहूं की मात्रा का निर्णय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किया जाएगा, जो गेहूं के स्टॉकिंग मानदंडों से अधिक गेहूं के स्टॉक की उपलब्धता पर आधारित होगा।

2. जहां तक चावल का संबंध है, वर्ष 2017-18 के दौरान खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत 20 लाख टन ग्रेड-ए चावल की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है, जैसा कि 2016-17 के दौरान रखा गया था।

3. वर्ष 2017-18 के दौरान खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत निजी बल्क क्रेताओं/व्यापारियों को गेहूं की बल्क बिक्री के लिए रिजर्व मूल्य 1790/- रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है, जिसमें विशिष्ट संचलन (डेडिकेटेड मूवमेंट) सहित सभी प्रकार की बिक्री के लिए लोडिंग एवं हैंडलिंग प्रभार शामिल हैं। पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत गेहूं की बिक्री के लिए रिजर्व मूल्य 1790/- रुपए प्रति क्विंटल होगा। इन राज्यों में जून, 2017 तक खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत गेहूं की कोई बिक्री नहीं की जाएगी।

4. पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों में लुधियाना से निकटतम रेलवे स्टेशन तक रेलवे मालभाड़े और जिस डिपो में बिक्री की जा रही है, रेलहेड से उस डिपो तक सड़क ढुलाई प्रभार लागत को गेहूं के रिजर्व मूल्य में जोड़ा जाएगा। खरीद न करने वाले राज्यों में खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत गेहूं की बिक्री तत्काल शुरू की जाएगी। तथापि, अन्य राज्यों में यह गेहूं की खरीद की अवधि समाप्त होने के बाद शुरू होगी।

5. राज्यों और अन्य बल्क क्रेताओं के संबंध में विशिष्ट संचलन के माध्यम से बिक्री सहित खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत गेहूं की बिक्री की अवधि का निर्णय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किया जाएगा।

6. वर्ष 2017-18 के लिए खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत ग्रेड-ए चावल की बिक्री के लिए समग्र रिजर्व मूल्य 2500/- रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है।

बृज बिहारी शर्मा

7. चावल की बिक्री पूरे वर्ष के दौरान की जाएगी, परंतु खरीद करने वाले राज्यों में धान की खरीद के दौरान खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत कोई बिक्री नहीं की जाएगी।

8. खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत ई-नीलामी के माध्यम से गेहूं और चावल की बिक्री की पद्धति वही होगी, जो वर्ष 2016-17 के दौरान थी।

बृजबिहारीलाल

(बृज बिहारी लाल)
अवर सचिव (नीति-3 एवं 4)
दूरभाष: 011-23384448

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारतीय खाद्य निगम,
नई दिल्ली

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

(i) सचिव, व्यय विभाग
(ii) सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग
(iii) अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

प्रतिलिपि :-

(क) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के प्रधान निजी सचिव
(ख) वित्त मंत्री के निजी सचिव
(ग) सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के प्रधान निजी सचिव
(घ) संयुक्त सचिव (नीति एवं एफसीआई) तथा संयुक्त सचिव (शर्करा) के निजी सचिव
(ङ) बीपी-1 प्रभाग
(च) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग। अनुरोध है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाए।
(छ) संबंधित फाईल (गार्ड फाईल)